FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

मोहनराम वगैरा बनाम किरधाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज प्रार्थना नं. 51/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रि0 धाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/2/19	प्रार्थी वकील उप0/विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुप0 श्री मान पीठासीन अधिकारी जिला कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईजलास लेकर आगामी तिथि 27/3/2019 को पेश होवे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:00:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म 19/02/2020

23/3/19 प्रार्थी काबिल उप0/ विपक्षीगण बावजूद तामील अनु0/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/5/19 को पेश हो।

29/5/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकला-पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/7/19 को पेश हों।

3/7/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकला-पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/10/19 को पेश हों।

21/10/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकला-पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 23/12/19 को पेश हों।

23/12/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकला-पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 19/02/2020 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:00:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुराने माटे व कोटे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेतों में काश्त कर लेते हैं जिसको लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सेढे को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नैय्यमबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नैय्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैय्यमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैय्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नैय्यमबन्दी मौके पर कमिशन शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:00:57 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तामील
में जारी हुए

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 182 दिनांकः– 19/02/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मोहनराम पुत्र हड्डुमानराम जाति जाट निवासी चौखला		विरधाराम पुत्र नैनाराम वगैरा निवासी चौखला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 51 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी व सखरोड़ा पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 680 / 18, 682 / 18 व 72 क्रमशः रकबा 31.19, 17.02 व 17.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500 / – जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

(हस्ताक्षर) 19.2.2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 183 to 187 दिनांकः– 19/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोहनराम पुत्र हड्डुमानराम
4. विप्रार्थीगण विरधाराम पुत्र नैनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिड़ा

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:00:57 IST
Reason: SelfAttested